न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, जयपुर।

अपील संख्याः–33/2023(जीसीएमएस नम्बर 2023/84)

1. मोहरपाल पुत्र गोपाल, जाति मीना, निवासी मनवा का बास तहसील, रामगढ़ पचवारा जिला दौसा।

——अपीलान्ट

बनाम

1. सुरेन्द्रसिंह पुत्र बलराम, जाति राजपूत निवासी अभयपुरा तहसील रामगढ पचवारा जिला दौसा।
2. शिवराजसिंह पुत्र बलराम,
3. शंकरसिंह पुत्र बलराम,
4. राजेन्द्रसिंह पुत्र बलराम,
5. जगदीश सिंह पुत्र बलराम,
6. कमला कंवार पत्नी स्व. बलराम,
7. भवानीसिंह पुत्र भंवरसिंह,
8. गोपालसिंह पुत्र रूपसिंह, जाति राजपूत निवासी अभयपुरा तहसील रामगढ़ पचवारा जिला दौसा।
9. राजस्थान सरकार द्वारा तहसीलदार तहसील रामगढ पचवारा जिला दौसा।

——प्रत्यर्थीगण

उपस्थितिः–

1. **श्री बंशीधर जाट एडवोकेट अपीलार्थी की ओर से**
2. **श्री आलौक चौधरी एडवोकेट रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 6 की ओर से**
3. **श्री रोशन लाल शर्मा एडवोकेट रेस्पोडेन्ट संख्या 7 व 8 की ओर से**

निर्णय

दिनांक 22.04.2024

अपीलार्थी द्वारा यह अपील अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रामगढ पचवारा जिला दौसा द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 10.02.2023 से असंतुष्ट होकर राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के तहत पेश की गई।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने अपील के तथ्यों को दौहरात हुए कथन किया है कि प्रत्यर्थीगण संख्या 1 लगायत 6 ने प्रत्यर्थीगण संख्या 7 लगायत 9 को अप्रार्थीगण पक्षकार बनाकर प्रार्थना अन्तर्गत धारा 128 भू राजस्व अधिनियम दिनांक 03.02.2013 को अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पेश किया गया जिस पर अप्रार्थीगण की तलबी दिनांक 10.02.2023 को करने के आदेश पारित किया गया। दिनांक 10.02.2023 को बिना सूचना पत्र जारी किये ही अप्रार्थीगण भवानीसिंह व गोपाल सिह उपस्थित हुए जिनके आदेशिका पर हस्ताक्षर करवाये गये तथा अपना सहमति पत्र प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र स्वीकार करने के आशय का प्रस्तुत किया जिससे स्पष्ट है कि प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण भवानीसिंह व गोपाल सिंह की आपसी दुरूभि संधि से शीर्षक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत हुआ जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उसी दिन स्वीकार कर प्रत्यार्थी संख्या 9 तहसीलदार रामगढ पचवारा को जरिये पुलिस सहायता आराजी खसरा नम्बर 124 रकबा 3.7560 हैक्टयर वाके ग्राम मनवा का बास की पत्थरगढ़ी करने का अपीलाधीन आदेश फरमा दिया जो विधिक एवं तथ्यात्मक रूप से सही नही है।

P.T.P

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि प्रार्थीगण प्रत्यर्थीगण ने शीर्षक प्रार्थना पत्र में आराजी खसरा नम्बर 124 ग्राम मनवा का बास का क्षेत्रफल तो अंकित कर दिय किन्तु उक्त खसरा नम्बर की भूमि की किस्म जानबुझकर अंकित नही की गई क्योंकि राजस्व रिकार्ड में उक्त भूमि की किस्म गैर मु. अंकित है जिसका तात्पर्य यह है कि भूमि कृषि योग्य नही है खसरा नम्बर 124 की भूमि पर प्रार्थीगण का कब्जा नही है, भूमि सार्वजनिक उपयोग की गैर मुमकिन भूमि है जिसकी पत्थरगढ़ी करवाकर प्रार्थीगण (प्रत्यर्थीगण) संख्या 1 लगायत 6 परोक्ष रूप से कब्जा करना चाहते है। इसलिये भूमि की किस्म स्वयं भूमि के उपयोग का आवंटन में अंकित नही किया गया है।

अधिवक्ता अपलान्ट ने कथन किया है कि प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों के अनुसार आराजी खसरा नम्बर 124 ग्राम मनवा का बास स्थित भूमि है प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण प्रत्यार्थीगण संख्या 7 व 8 ग्राम अभयपुर के निवासी, एक ही जाति के आपस में भाई है जिनका आराजी खसरा नम्बर 124 में कोई हित निहित नही है। प्रार्थीगण के नाम गैर मु. किस्म की भूमि की खातेदारी गलत अंकित है। प्रार्थीगण पत्थगरढ़ी की आड में अपीलान्ट को अनाधिकृत एवं अविधिक रूप से निष्कासित करावाना चाहते है। उन्होने आगे कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू राजस्व अधिनियम को बिना समझे ही अपीलाधीन आदेश अपने न्यायिक विवेक का उपयोग किये बिना पारित किया है। अन्तर्गत धारा 128 भू राजस्व अधिनियम में प्रावधान है कि पक्षकारगण के बीच सीमा विवाद भू लेखाधिकारी धारा 111 भू अभिलेख अधिनियम में वर्णित प्रक्रिया के अनुरूप तय करेंगे। धारा 111 उपचरण 1 के अनुरूप भू लेखाधिकारी सीमा विवाद को नक्शा ट्रेस के अनुसार तय करेंग। प्रार्थना पत्र या प्रश्नगत आदेश में कही अंकित नही है कि प्रार्थीगण का सीमा विवाद किन व्यक्तियों से है। सीमा विवाद आस–पास के खातेदारान से ही संभव है। प्रार्थना पत्र में यह तथ्य या उन खातेदारों को पक्षकार नही बनाया जिनसे प्रार्थीगण का सीमा विवाद है। धारा 111(2) मे स्पष्ट व्यवस्था है कि भूलेखाधिकारी समरी जांच से तय करेंगे कि विगत तीन माह में भूमि पर किस का कब्जा है। इस प्रकार आ0 धारा 111(2) भू राजस्व अधिनियम की जांच किये बिना प्रश्नगत आदेश पारित कर प्रक्रिया की सही पालना नही की गई और अपीलाधीन आदेश विधि विरूद्ध पारित किया गया है, जो खारिज योग्य है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश दिनांक 10.02.2023 निरस्त फरमाया जावें।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 8 ने कथन किया है कि आराजी खसरा नम्बर 124 रकबा 3.7560 हैक्टयर वाके ग्राम अभयपुरा तहसील रामगढ पचवारा जिला दौसा में स्थित है जिसके रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 6 तन्हा खातेदार है, उक्त आराजी से किसी अन्य का कोई सम्बन्ध, सरोकार या वास्ता नही है। नियमानुसार ही रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 6 ने दिनांक 01.02.2023 को अपनी खातेदारी भूमि की पत्थरगढी किये जाने हेतु निवेदन तहसीलदार रामगढ पचवारा से किया तो उन्हे बताया गया, कहॉ गया कि पहले उप जिलाधीश रामगढ पचवारा से आदेश करावों बस यही विनय मुखस्मत पैदा होकर अपने हकूक की रक्षार्थ अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 128 भू राजस्व अधिनियम पेश किया गया था जिस पर

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण का विधिक परीक्षण करने के उपरान्त ही अपीलाधीन आदेश दिनांक 10.02.2023 पारित किया गया है जिसमें किसी प्रकार की कानूनी गलती नही की गई है। अपीलार्थी का रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 6 की आराजी से किसी प्रकार का कोई लेना–देना, सम्बन्ध, सरोकार, वास्ता नही है इसलिये उन्हे रेस्पोडेन्ट की आराजी की पत्थरगढी आदेश के सम्बन्ध में उज्रात करने का अधिकार भी नही है। अतः अपीलार्थी की अपील खारिज योग्य होने से खारिज फरमाई जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 6 द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या 7 लगायत 9 को अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष बतौर रेस्पोडेन्ट पक्षकार संयोजित करते हुए एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू राजस्व अधिनियम दिनांक 03.02.2023 को पेश किया गया तथा दिनांक 03.02.2023 को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रेस्पोडेन्ट की तलबी के आदेश पारित किये जाकर आगामी तारीख पेशी दिनांक 10.02.2023 नियत की गई है किन्तु दिनांक 10.02.2023 तक अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रेस्पोडेन्ट को किसी प्रकार का कोई तलबी नोटिस जारी किया गया हो के सम्बन्ध में कोई भी साक्ष्य अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध नही है साथ की अधीनस्थ न्यायालय द्वारा भूमि विवादग्रस्त के सम्बन्ध में किसी प्रकार की जॉच रिपोर्ट भी तहसीलदार से मंगवाई गई हो तथा कोई समरी इन्क्वायरी की गई हो, यह भी साक्ष्य पत्रावली पर उपलब्ध नही है। जिससे स्पष्ट हो जाता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना कोई न्यायिक प्रक्रिया अपनाये ही एवं प्रकरण में बिना कोई समरी जॉच किये ही जल्दीबाजी में अपीलाधीन आदेश दिनांक 10.02.2023 पारित किया गया है जो न्यायिक प्रक्रिया एवं विधिक प्रावधानों के विपरित होने से उसे उचित नही ठहराया जा सकता। ऐसी स्थिति में प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को रिमाण्ड किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील सवीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रामगढ़ पचवारा जिला दौसा द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 10.02.2023 को निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रामगढ़ पचवारा जिला दौसा को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जात है कि प्रकरण में पक्षकारान को साक्ष्य, सबूत, दस्तावेजात इत्यादि प्रस्तुत करने का एवं सुनवाई का समुचित एवं युक्तियुक्त अवसर प्रदान किया जाकर प्रकरण में भूमि विवादग्रस्त की किस्म इत्यादि के सम्बन्ध में तहसीलदार रामगढ पचवारा से जॉच रिपोर्ट तलब करने के बाद प्रकरण में समरी जॉच के पश्चात् गुणावगुण पर पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें।

(डॉ0प्रवीण कुमार)
अति. संभागीय आयुक्त,
जयपुर।

निर्णय आज दिनांक 22.04 2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

अति.संभागीय आयुक्त,
जयपुर।